अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/541

1. सूरज मल आयु 46 वर्ष
2. चौथमल आयु 41 वर्ष पिसरान स्व0 गौरू लाल जी जाति मीना निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिय तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. आनन्दी लाल
3. हीरा लाल
4. शिवराज
5. गिर्राज
6. अणदी बाई पुत्रान एवं पुत्री कालू जाति मीना निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 121/दावा/2015

1. सूरज मल आयु 46 वर्ष
2. चौथमल आयु 41 वर्ष पिसरान स्व0 गौरू लाल जी जाति मीना निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिय तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 25.01.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री मेघराज सिंह शक्तावत एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से पैरोकार सरकसर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 6 की ओर से अभिभाषक श्री दयाराम सैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट वादी आवंटन अधिकारी के समक्ष खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 25.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

25.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/541

1. सूरज मल आयु 46 वर्ष
2. चौथमल आयु 41 वर्ष पिसरान स्व0 गौरू लाल जी जाति मीना निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिय तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. आनन्दी लाल
3. हीरा लाल
4. शिवराज
5. गिर्राज
6. अणदी बाई पुत्रान एवं पुत्री कालू जाति मीना निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मेघराज सिंह शक्तावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।
3. श्री दयाराम सैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 6 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता श्री गौरूलाल जी की आवंटनशुदा आराजी वाके ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित जिसके खसरा नम्बर 39 की रकबा 10 बीघा भूमि है । उक्त भूमि का तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 26.05.1995 को पट्टा जारी किया गया था । वादीगण के पिता गौरूलाल जी आवंटन के प्रश्चात् से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । सेटलमेंट के पश्चात् उक्त आराजी गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई है जबकि उक्त आराजीयात पर वादीगण के पिता गौरूलाल अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे और वर्तमान में भी वादीगण काबिज चले आ रहे हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त

है कि वह उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाए व इन्द्राज दुरूस्ती करवाते हुए उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाएं ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी की घोषणा करते हुए व इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए वादीगण के नाम से खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता स्व0 गौरू के जमाने से वर्ष 1965 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु रेस्पोडेन्ट कम 2 से 6 द्वारा मिली भगत कर उक्त भूमि खसरा नम्बर 39 जिसका नया नम्बर 286/690 रकबा 1.60 हैक्टर अपने नाम गैर खातेदारी में दर्ज करवा ली जिसकी अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को साक्ष्य पेश करने का भी अवसर नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.07.2016 हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट के पिता गौरू लाल आवंटित आराजी वाके ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 39 की 10 बीघा भूमि स्थित है । इस आराजी के बाबत् तहसीलदार के द्वारा गौरूलाल आत्मज औंकार के पक्ष में पट्टा भूमि गैर खातेदारी दिनांक 27.05.1965 को जारी किया गया तब से इस आराजी पर गौरू जी का कब्जा चला आ रहा है । अपीलान्ट के पिता के देहान्त के बाद वादी अपीलान्ट इस आराजी पर काबिज काश्त है । सेटलमेंट ने इस आराजी को गैर खातेदारी में दर्ज किया उक्त आराजी के सम्बन्ध में मिलान क्षेत्रफल भी जारी किया गया है । इन सभी आधारों पर वादीगण ने उक्त भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु अपने अधिकारों के तहत अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था इसी दौरान कैम्प कोर्ट मांदलिया में रखी गई । लोक अदालत में वादीगण उपस्थित थे किन्दु वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना गलत रूप से दावा

खारिज किया है । आराजी पर सन् 1965 से अपीलान्ट के पिता का व उनके बाद अपीलान्टगण का कब्जा है । साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया है, सीपीसी की पालना नहीं की गई है गलत रूप से आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को आवंटित आराजी पृथक जिस पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है । अपीलान्ट का दावा मिलान क्षेत्रफल से साबित नहीं होता है । वर्तमान में आराजी रेस्पोडेन्ट की गैर खातेदारी में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायलय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अपीलान्ट ने अपील के साथ कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं इसमें पट्टा भूमि गैर खातेदारी दिनांक 27.05.1965 रसदी की प्रतियॉं, नजरी नक्शो की प्रति हैं इसके अलावा कुछ फोटो प्रतियॉं भी पेश की गई हैं । अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा, फोटो प्रति पर्चा लगान, फोटो प्रति पासबुक, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 की फोटो प्रति पेश की हैं ।

12. वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन करते हुए वाद पेश किया था कि ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा में साबिक खसरा नम्बर 39 की रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के पिता गौरू आत्मज औंकार के पक्ष में दिनांक 27.05.65 को गैर खातेदारी में पट्टा जारी किया गया था । उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 286/690 रकबा 1.60 हैक्टर कायम किये गये हैं । इस आराजी पर सन् 1965 से अपीलान्ट निरन्तर काबिज काश्त है इसलिए उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । वादी अपीलान्ट ने गैर खातेदारी से खातेदारी घोषणा के लिए धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद पेश किया है । इस क्रम में हमारा मत है कि यदि वादी अपीलान्ट को आवंटन होकर आराजी गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी तो उन्हें आवंटन अधिकारी के समक्ष खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन अधिकारी दस्तावेजात की जॉच के उपरान्त आवंटन नियमों की शर्तों की पालना के उपरान्त नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकते हैं । गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए पृथक से हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । यहॉं यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 6 पक्षकार नहीं है और न ही मीमो के बिन्दु संख्या 2 में किये गये कथन अधीनस्थ न्यायालय में किये गये हैं ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट वादी आवंटन अधिकारी के समक्ष खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है ।

15. निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा